

## भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन की भूमिका की बहुआयामी समझ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

**Dr. Umesh Kumar Dixit**  
Professor & Head  
Department of Sociology  
Monad University, Hapur

**Dr. Dhanendra Kumar Dixit**  
Assistant Professor (Guest)  
Department of Pol. Science  
D.S. College, Aligarh

**सारांश,** भ्रष्ट आचरण ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए प्रशासनिक, सामाजिक-नैतिक या वैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करता है अथवा सत्ता का दुरुपयोग करता है रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद, पक्षपात, गबन, शासकीय पदों पर अयोग्यों की नियुक्ति इत्यादि भ्रष्टाचार के विभिन्न स्वरूप हैं। भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में प्रत्येक काल एवं प्रत्येक समाज में पाया जाता है। भारतीय समाज अब उपभोक्तावादी समाज बन गया है, भ्रष्टाचार की जड़ें चूंकि समाज में निहित हैं अतः भ्रष्टाचार का निदान भी सामाजिक, सामूहिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में ही सम्भव है।

**मुख्य शब्द,** भारतीय समाज, सी.पी.आई., जनलोकपाल विधेयक, रिश्वतखोरी आदि।

**प्रस्तावना,** दुनिया के बड़े देश भी अपने यहाँ कार्यरत धनी भारतीयों को देखकर इस बात से हैरान हैं कि अपार मानव संसाधन, शक्ति और प्राकृतिक सम्पदा होते हुए भी भारत इतना निर्धन और भ्रष्ट देश क्यों हैं? इसका जबाब यही है कि हम वस्तुतः गरीब नहीं हैं, इसके लिए हमारी नीतियाँ और राजनीतिक व्यवस्था दोषी है। (भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, सी.पी.आई.) 2024 में, भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में भारत 96 वे स्थान पर है।

### राज्यों में लोकायुक्त की स्थिति

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सभी राज्यों को एक वर्ष के अन्दर लोकायुक्त कार्यालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। वर्तमान में भारत के 11 राज्यों – उ.प्र., बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, आदि में मंत्रियों, विधायकों, सरकारी कार्यकर्त्ताओं तथा अन्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त की स्थापना की गई है।

### ऐतिहासिक विकास और जन आन्दोलन

**शुरुआती पहल :** पहला लोकपाल विधेयक 1968 में शांतिभूषण द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन 45 वर्षों तक विलंबित रहा।

अन्ना हजारे का आन्दोलन (2011) “जनलोकपाल विधेयक की माँग को लेकर अनशन, जिसके बाद संसद ने प्रधानमंत्री और न्यायापालिका को लोकपाल के दायरे में शामिल करने को सैद्धान्तिक समर्थन दिया।

**2013 का अधिनियम :** जब दबाव के बाद पारित हुआ, परन्तु कई कार्यान्वयन समस्याएँ बनी रहीं।

**उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना** – उ.प्र. में लोकायुक्त की स्थापना 1975 में हुई थी, जब उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। लोकायुक्त का कार्यकाल पहले 8 वर्ष था, लेकिन फरवरी 2024 में इसे घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित लोकायुक्त संगठन के प्रयास कितने कारगर साबित हुए हैं? क्या प्रदेश का लोकायुक्त संगठन सही तरीके से अपने उद्देश्यों में सफल हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बने कानून अपर्याप्त हैं? राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है? आदि इन समस्त बिंदुओं का विश्लेषण करने के लिए ही “भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त संगठन की भूमिका की बहुआयामी समझ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन” नामक प्रस्तुत शोध अध्ययन किया गया है।

## साहित्य पुर्नरावलोकन

### 1. ‘भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (Corruption Perceptions Index)

‘विवरण’: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत का स्कोर 41 (100 में से) और रैंक 78 (180 देशों में) थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की उच्च धारणा को दर्शाता है। यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार की तुलनात्मक समझ प्रदान करता है।

### 2. ‘निर्वाचन व्यय और भ्रष्टाचार’

2019 के आम चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा लगभग 600 बिलियन रुपये (8.7 बिलियन डॉलर) खर्च किए गए, जबकि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 7 मिलियन रुपये प्रति उम्मीदवार थी। इससे चुनावी भ्रष्टाचार की गंभीरता का पता चलता है। चुनावी खर्च में वृद्धि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है।

### 3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act, 1988)

इस अधिनियम में 2018 में संशोधन किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए दो साल की समयसीमा, कॉर्पोरेट दायित्व और सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जाँच के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यकताएँ शामिल हैं। यह अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी ढाँचे को मजबूत करता है।

### 4. ‘कंपनी अधिनियम 2013 (Companies Act, 2013)

इस अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट क्षेत्र में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि स्टैच्यूटरी ऑडिटर्स द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और स्वतंत्र निदेशकों की जिम्मेदारियाँ बढ़ाना। यह कॉर्पोरेट प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास करता है।

### 5. ‘लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013’

इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई, जो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच और उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। यह संस्थागत ढाँचा भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करता है।

#### 6. 'व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2011'

इस अधिनियम का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खुलासे करने वाले व्हिसलब्लोअर्स को सुरक्षा प्रदान करना है, हालाँकि इसे अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ नागरिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

#### 7. 'प्रमुख घोटाले: 2जी स्पेक्ट्रम और कोलगेट'

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में अनुमानित 39 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि कोलगेट घोटाले में 34 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इन घोटालों ने भारत में भ्रष्टाचार की व्यापकता को उजागर किया। ये घोटाले भ्रष्टाचार के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान के प्रतीक हैं।

#### 8. '2011 का भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन'

अन्ना हजारे के नेतृत्व में यह आंदोलन जन लोकपाल विधेयक की माँग को लेकर शुरू हुआ, जिसने पूरे देश में व्यापक जनसमर्थन प्राप्त किया। इस आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता और सक्रियता को बढ़ावा दिया।

#### 9. 'प्रौद्योगिकी और भ्रष्टाचार निवारण'

डिजिटल इंडिया, आधार, और ई-गवर्नेंस जैसी पहलों ने भ्रष्टाचार को कम करने में मदद की है, by reducing human discretion and increasing transparency. प्रौद्योगिकी भ्रष्टाचार विरोधी उपायों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

#### 10. 'नैतिक और सामाजिक प्रभाव'

भ्रष्टाचार समाज में असमानता, नैतिक पतन और कानून के शासन के कमजोर होने का कारण बनता है। यह सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को कम करता है। भ्रष्टाचार का सामाजिक-नैतिक प्रभाव इसके आर्थिक प्रभाव जितना ही गहरा है।

#### शोध के उद्देश्य—

1. अपराधी नेता कारपोरेट गठजोड़ का अध्ययन करना।
2. भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में लोकायुक्त की भूमिका का अध्ययन करना।
3. भ्रष्टाचार निवारण में लोकायुक्त के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

**शोध प्रारूप :** प्रस्तुत शोध कार्य के लिए अध्ययन के समग्र के रूप में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद का चयन किया गया है। अलीगढ़ जनपद में कुल 05 तहसील क्रमशः कोल, खैर, अतरौली, गभाना और इगलास है। अतः सर्वप्रथम सोउद्देश्य निदर्शन पद्धति के आधार पर प्रत्येक तहसील से 02 गाँवों का चयन किया गया है। इस प्रकार कुल 10 गाँवों का चयन किया गया है। इसके पश्चात स्तरीकृत यादृच्छिक निदर्शन (Random Stratified Sampling) की सहायता से गाँव की जनसंख्या का पहले अलग-अलग समूहों (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति) में विभाजित किया गया है और फिर प्रत्येक समूह से यादृच्छिक रूप से सदस्यों का चयन उसी अनुपात में किया गया, जिस अनुपात में उस समूह विशेष का ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिनिधित्व था।

प्रस्तुत शोध कार्य मुख्यतः प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है साथ ही साथ द्वितीयक आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन चयनित गाँवों के उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है वहीं द्वितीयक आंकड़ों का संकलन इंटरनेट, पुस्तकों, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, आदि से किया गया है।

### अध्ययन की प्रासंगिकता/महत्व

साधारण व्यक्ति के समक्ष भ्रष्टाचार से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास प्रस्तुत शोध अध्ययन है। इस शोध कार्य का महत्व एवं प्रासंगिकता यह है कि इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट हो सकेगा कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत लोकायुक्त संगठन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है? और वह इस दिशा में कितना सफल हुआ है? लोकायुक्त की प्रोफाइल एवं संवेदनशील प्रकरणों में क्या भूमिका रही है? आदि।

यह शोध नवीन शोधार्थियों एवं विषय से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक होगा और उनका मार्गदर्शन करेगा।

### नवीनतम परिवर्तन एवं चुनौतियाँ

1. कार्यकाल में कटौती – फरवरी 2024 में उ.प्र. में योगी सरकार ने लोकायुक्त के कार्यकाल को 08 वर्ष से घटाकर 05 वर्ष कर दिया गया है। इसका प्रमुख कारण शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताएं और केन्द्रीय लोकपाल अधिनियम के साथ समरूपता बनाना बताया गया है।
2. उल्लेखनीय मामले – उ.प्र लोकायुक्त ने हाई प्रोफाइल मामलों की जाँच की है जैसे— पोंटी चडडा— मायावती सरकार सम्बन्धों की जाँच और बहुजन समाज पार्टी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ सी.बी.आई0 जाँच की सिफारिश।
3. चुनौतियाँ – संसाधनों की कमी, जाँच में देरी और सरकारी हस्तक्षेप की आशंका जैसी समस्याएँ, प्रभावशीलता को सीमित करती है।

## विश्लेषण

तालिका 01 : उत्तरदाताओं को लोकायुक्त संगठन की जानकारी

| जानकारी | संख्या | प्रतिशत |
|---------|--------|---------|
| हाँ     | 87     | 87.00   |
| नहीं    | 13     | 13.00   |
| योग     | 100    | 100.00  |

तालिका 01 से स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं में से 87% लोगों को ही लोकायुक्त संगठन के बारे में जानकारी है। शेष 13% को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए लोकायुक्त के सम्बन्ध में समस्त सूचनाएँ इन 87% से ही प्राप्त की गई है।

तालिका 02: भ्रष्टाचार के लिए अपराधी-नेता-कारपोरेट गठजोड़ के सम्बन्ध में अभिमत

| अभिमत | संख्या | प्रतिशत |
|-------|--------|---------|
| हाँ   | 81     | 93.10   |
| नहीं  | 06     | 6.90    |
| योग   | 87     | 100.00  |

उपरोक्त तालिका 02 से स्पष्ट है कि 93.10 प्रतिशत सूचनादाताओं का कथन है कि भ्रष्टाचार के लिए अपराधी-नेता-कारपोरेट गठजोड़ जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह राजनीति का अपराधीकरण है। राजनेताओं को जब लगा कि नौकरशाही के भ्रष्टाचार में पर्याप्त अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं होता, तो उन्होंने इस रास्ते को अपनाया और एक अपराधी नेता कारपोरेट गठजोड़ तैयार हुआ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए लोकायुक्त को स्वतंत्र जाँच एजेंसी, स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार और विशेष अदालतों की आवश्यकता है? के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिमतों को तालिका संख्या 03 में दर्शाया गया है।

तलिका 03: उपरोक्त कथन के सम्बन्ध में अभिमत

| अभिमत | संख्या | प्रतिशत |
|-------|--------|---------|
| हाँ   | 87     | 87.00   |
| नहीं  | —      | —       |
| योग   | 87     | 100.00  |

उपरोक्त तलिका 03 से स्पष्ट है कि शत-प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए लोकायुक्त संगठन को स्वतंत्र जॉच एजेन्सी, स्वतंत्र स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार और विशेष अदालतों की आवश्यकता है। 2024 के संशोधनों से कार्यकाल तर्कसंगत हुआ है, लेकिन संसदी को और मजबूत बनाने हेतु संसाधनों तथा अधिकारों का विस्तार जरूरी है।

लोकायुक्त के कार्यकाल (8 से 5 वर्ष) से सम्बन्धित संशोधन 2024 में कार्यकाल घटाया गया है, के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिमतों को तालिका संख्या 03 में दर्शाया गया है।

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिमतों को तालिका संख्या 04 में दर्शाया गया है।

तलिका 04: लोकायुक्त संगठन की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में अभिमत

| अभिमत      | संख्या | प्रतिशत |
|------------|--------|---------|
| बहुत अच्छी | 17     | 19.54   |
| अच्छी      | 24     | 27.58   |
| औसत        | 20     | 22.98   |
| अच्छी नहीं | 26     | 29.88   |
| योग        | 87     | 100.00  |

उपरोक्त तलिका से स्पष्ट है कि 19.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है जबकि 28.58 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि लोकायुक्त संगठन की कार्य प्रणाली अच्छी है। 22.98 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि संगठन की कार्यप्रणाली औसत है। 29.88 उत्तरदाताओं का विचार है कि लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली अच्छी नहीं है। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (47.12 प्रतिशत) का मानना है कि उ.प्र. में लोकायुक्त संगठन की कार्यप्रणाली अच्छी है।

**भविष्य की दिशा** – भ्रष्टाचार नियन्त्रण में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए लोकायुक्त को स्वतंत्र जॉच एजेन्सी, स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार और विशेष अदालतों की आवश्यकता है। 2024 के संसाधनों से कार्यकाल तर्कसंगत हुआ है लेकिन संस्था को और मजबूत बनाने के लिए संसाधनों तथा अधिकारों का विस्तार जरूरी है।

**निष्कर्ष** : उ.प्र. में लोकायुक्त प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। हालांकि, इसकी शक्तियाँ सीमित है और हाल के संसाधनों ने इसकी संरचना को आधुनिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण मानकों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। भविष्य में इसकी स्वायत्ता और कार्यक्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना आवश्यक है।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जी.एल. शर्मा (2015) "सामाजिक मुद्दे: भ्रष्टाचार : लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 207-221
- 2- Brunetti, Aymo, and Beatrice Weder (2003). "A free press is bad news for corruption." *Journal of Public Economics*, vol. 87, issue 7, pp. 1801-1824
- 3- Chayes, Sarah (2015). "Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security." W.W. Norton and Company.
- 4- Rothstein, Bo (2011). "Anti-Corruption: The indirect 'big bang' approach." *Review of International Political Economy*, 18 (2), pp. 228-250.
- 5- Slaner, Eric M. (2008). "Corruption, Inequality and the Rule of Law." Cambridge University Press.
- 6- World Bank (2017). "World Development Report 2017: Governance and the Law.
- 7- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2018). "The Role of the Media and Investigative Journalism in Combating Corruption".